

इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 सितम्बर 2025—भाद्र 31, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. CT-8-0011-2025-Sec-1-पांच(CT) (31)

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(क्रमांक 2017 सन् 19) की धारा 54 की द्वारा उप-धारा (6) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई मागणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है;

सारणी

क्र.सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण.-

(i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष", और "अध्याय" में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है;

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. CT-8-0011-2025-Sec-1-पांच (CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0011-2025-Sec-1-पांच(CT) (31), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

No. CT-8-0011-2025-Sec-1-V(CT)(31)

Bhopal, the 22nd September 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council, hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely :-

(a) Any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017;

(b) Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

S. No.	Chapter/Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	Areca nuts
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation.—

- (i) In this notification, "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

क्र. CT-8-0012-2025-Sec-1-पांच(CT) (32)

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 44 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, वार्षिक विवरणी फाइल करने के सवध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आयत्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 17 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

धनराजु एस.,आयुक्त,

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. CT-8-0012-2025-Sec-1-पांच (CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0012-2025-Sec-1-पांच(CT) (32), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

No. CT-8-0012-2025-Sec-1-V(CT) (32)

Bhopal, the 22nd September 2025

In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, in respect of filing of annual return for the financial year 2024-25 onwards, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to two crore rupees, from filing annual return that said financial year.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from 17th day of September, 2025.

DHANARAJU S., Commissioner.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ ए 3-11-2018-1-पांच(34).—

क्रमांक एफ ए 3-11/2018/1/पांच (34) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस आशय से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-11-2018-1-V(17) दिनांक 25 जनवरी, 2018 का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-33/2017/1/V(42) 05 अगस्त, 2017 की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच(33) दिनांक 19/09/2025 की अनुसूची II" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ ए 3-11-2018-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना एफ ए 3-11-2018-1-पांच (34), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd September 2025

No. F A 3-11/2018/1/V(34) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-11-2018-1-V(17) dated 25th January 2018 namely:-

In the said notification, for the words, brackets, and figures "Schedule IV of Notification No. F-A-3-33/2017/1/V(42) dated 29th June 2017", the following shall be substituted, namely:- "Schedule II of Notification No. F A 3-33/2017/1/V(33) Dated 19/09/2025".

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

No. CT/8/0013/2025-Sec-1-05(CT)(36): राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) और (iii), धारा 3 से धारा 5 और धारा 7 से धारा 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. CT-8-0013-2025-Sec-1-पांच (CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0013-2025-Sec-1-पांच (CT) (36), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव।

Bhopal, the 22nd September 2025

No. CT/8/0013/2025-Sec-1-05(CT)(36) : In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 (19 of 2025), the State Government hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 15 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

क्र. CT-8-0014-2025-Sec-1-पांच (CT)(37)

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

राज्य सरकार, परिपद की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 22 सितम्बर, 2025 से प्रभावी होंगे।
- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 31क में, उप-नियम (2) में, अंक "128" के स्थान पर अंक "140" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, नियम 39 में, उप-नियम (1क) में, शब्दों और अंकों "धारा 9 की" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

" मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2025 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन"।

4. उक्त नियमों में, 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी, नियम 91 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2). समुचित अधिकारी, सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर, नियम 90 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन अभिलिखित की तारीख से सात दिन से अधिक की अवधि के भीतर प्ररूप जीएमटी आरएफडी-04 में आदेश करेगा:

परंतु समुचित अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनंतिम आधार पर प्रतिदाय प्रदान नहीं कर सकता है और नियम 92 के अधीन आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है:

परंतु यह और कि प्ररूप जीएमटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को समुचित अधिकारी द्वारा पुनः विधिमाम्य किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 110 में, —

(क) उपनियम (1) में,—

(i) "अनंतिम पावती" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग क में" शब्द, अंक एवं अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (4) में "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहाँ जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप जीएमटी एपीएल-02क के भाग ख में" शब्द, अंक एवं अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 110 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"110क. एकल सदस्य पीठ द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया—

(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि किसी राज्य पीठ के संबंध में अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत हो, तो या तो अपनी स्वयं की पहल पर या अपील के पक्षकारों द्वारा दाखिल आवेदन पर, अपील की समीक्षा कर सकता है और यदि अपील में विधि के प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसी अपील को संबंधित राज्य के भीतर किसी एकल सदस्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।

(2) यदि एकल सदस्य पीठ, उपनियम (1) के अधीन आबंटित अपील की सुनवाई करते समय, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील में विधि का प्रश्न सम्मिलित हो सकता है, तो ऐसी पीठ अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अपील को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को पुनर्विचार हेतु वापस भेज देगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपील की समीक्षा या उपनियम (2) के अधीन अपील के पुनर्विचार के दौरान, यह तथ्य कि क्या किसी राज्य के भीतर उसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, समान मुद्दा, समान या भिन्न कर अवधि के लिए पहले से ही तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना जा चुका है या उसका निर्णय हो चुका है, को ध्यान में रखा जाएगा और जहाँ ऐसा मामला विद्यमान है, अपील तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुनी जाएगी।

(4) धारा 109 की उपधारा (8) के अधीन पचास लाख रुपए की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, सम्मिलित संचयी कर या इनपुट कर क्रेडिट, या जुर्माना, फीस या शांति की राशि का निर्धारण अपील किए गए आदेश में सम्मिलित सभी मुद्दों और सभी कर अवधियों के संदर्भ में किया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 111 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) " अनंतिम पावती "शब्दों के पश्चात् "प्ररूप जीएमटी एपीएल-02क के भाग क में" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में,—

(i) "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में", शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहां जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के भाग ख में" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) द्वितीय परंतुक में, "स्व-प्रमाणित प्रति" शब्दों के स्थान पर "स्व-सत्यापित प्रति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 113 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"(2) अपीलीय अधिकरण, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क में आदेश का सारांश जारी करेगा, या जारी कराएगा, जिसमें अपीलीय अधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी मांग की अंतिम राशि स्पष्ट रूप से दर्शायी जायेगी।"

9. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में, -

(क) सारणी में,-

(i) भाग III में, "वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के व्यौरे" शीर्षक के अधीन, -

(क) क्रम संख्या 6 के सामने, "वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गए आईटीसी के व्यौरे" शीर्षक के अधीन, -

(i) क्रम संख्या क, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क1	पूर्व वित्तीय वर्ष का आईटीसी जो वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया (जो ऊपर 6क में सम्मिलित है) नियम 37 और नियम 37क के अधीन पुनः दावा किए गए आईटीसी के अतिरिक्त				
क2	वित्तीय वर्ष का शुद्ध आईटीसी =(क-क1)				

(II) क्रम संख्या ज की प्रविष्टि में, "(उपर्युक्त ख से भिन्न)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

ज	अंतर (उपर्युक्त झ-क2)				
---	-----------------------	--	--	--	--

(IV) क्रम संख्या ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

ड	आईटीसी-01, आईटीसी-02 और आईटीसी-02क (जीएसटीआर-3ख और ट्रान फॉर्म के अतिरिक्त) के माध्यम से उपभोग किया गया आईटीसी "				
---	--	--	--	--	--

(ख) क्रम संख्या 7 के सामने, "वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी और अपात्र आईटीसी के व्यौरे" शीर्षक के अधीन,-

(I) क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क1	नियम 37क के अनुसार				
क2	नियम 38 के अनुसार				

(ग) क्रम संख्या 8 के सामने, "अन्य आईटीसी संबंधी मूचना" शीर्षक के अधीन,-

(II) क्रम संख्या ख की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

ख	उपर्युक्त 6(ख) के अनुसार आईटीसी	<ऑटो>				
---	---------------------------------	-------	--	--	--	--

(II) क्रम संख्या ज की प्रविष्टियों में, "पर" शब्द के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(III) क्रम संख्या ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

ज1	मालों के आयात पर अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग की गई आईजीएसटी प्रत्यय					
----	---	--	--	--	--	--

(IV) क्रम संख्या झ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

झ	अंतर [छ - (ज + ज1)]					
---	---------------------	--	--	--	--	--

(ii) भाग IV में, "वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल किए गए रिटर्न में घोषित कर संदाय के विवरण" शीर्षक के अधीन-

(क) क्रम संख्या 9, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

9	विवरण	संदेय कर	नकद के माध्यम से संदत्त	आईटीसी के माध्यम से संदत्त				कुल कर संदत्त	संदेय कर और संदत्त कर के बीच अंतर
				केंद्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+ 7	2-8
	एकीकृत कर								
	केंद्रीय कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर								

	उपकर								
	व्याज								
	विलंब फीम								
	शान्ति								
	अन्य								

(iii) भाग V में, "निर्दिष्ट अवधि तक अगले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में घोषित वित्तीय वर्ष के लेन-देन के विवरण" "आगामी वित्तीय वर्ष की विवरणियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक घोषित वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहार की प्रविष्टियों" शीर्षक के अधीन-

(क) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

10	चालान / डेबिट नोट / संशोधन के माध्यम से घोषित आपूर्ति / कर (+)					
11	संशोधन / क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाई गई आपूर्ति / कर (-)					
12	अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित वित्तीय वर्ष का आईटीसी					
13	अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया वित्तीय वर्ष का आईटीसी					
14	उपर्युक्त 10 और 11 की घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर					
	विवरण	संदेय	संदत्त	अंतर		
	1	2	3	2-3		
	एकीकृत कर					

	केंद्रीय कर			
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			
	उपकर			
	व्याज			

(ख) "अनुदेश" शीर्षक के अधीन,-

(i) पैराग्राफ 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. उपयोग किए गए शब्द:

(क) जीएमटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कूट

(ग) एचएसएन: नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

(घ) आईटीसी: इनपुट टैक्स क्रेडिट";

(ii) पैराग्राफ 2क में,-

(क) "केवल वित्तीय वर्ष" शब्दों के पश्चात्, "जिसके लिए वार्षिक रिटर्न फाइल किया जा रहा है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "यहाँ नहीं किया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "जब तक कि विशेष रूप से आवश्यक न हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) पैराग्राफ 4 में, -

(क) "या वित्त वर्ष 2023-24" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, "या वित्त वर्ष 2024-25" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) सारणी में, -

(I) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या "5घ, 5ङ और 5च" के सामने, "वित्त वर्ष 2023-24" अक्षरों और अंकों के पश्चात्, "और वित्त वर्ष 2024-25," अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 5ज, 5झ और "5ञ और 5ट" के सामने, "2022-23 और 2023-24" शब्द और अंकों के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(iv) पैराग्राफ 5 में, सारणी में, -

(क) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6क के सामने, "करदाता" शब्द के स्थान पर "वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तालिका संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

6क1	पूर्व वित्तीय वर्ष के संबंध में आईटीसी, किंतु उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग किया गया जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है, उस वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है, और ऊपर तालिका 6क में ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज में सम्मिलित है, यहाँ घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
-----	--

(ग) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ख के सामने, -

(I) "नीचे 6(ज) में प्रथम रूप से की जानी चाहिए।" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, जो आईटीसी (पहली बार) उपभोग किया गया था वह इस तालिका में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल तालिका 6ज में घोषित किया जाना चाहिए।";

(II) "2022-23 और 2023-24" अंकों और शब्द के स्थान पर "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(घ) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ग और 6घ के सामने "2022-23 और 2023-24" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ड) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ज के सामने "यहाँ घोषणा की जाएगी।" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, अंतर्वर्ती आपूर्ति पर आईटीसी (आयात और प्रत्यागम भार के लिए दायी अंतर्वर्ती आपूर्ति से अतिरिक्त किंतु एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को सम्मिलित करता है) जो (पहली बार) प्राप्त किया गया था वह ऊपर तालिका 6ख में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल यहाँ घोषित किया जाना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा।

साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका दावा किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह ऊपर तालिका 6क1 में रिपोर्ट किया जाना है।";

(च) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 6ज. के सामने, "यह रकम शून्य होनी चाहिए।" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 6क2 के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग वित्तीय वर्ष के कुल शुद्ध आईटीसी की राशि और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर क्रेडिट के बीच अंतर यहाँ ऑटो पॉप्युलेट किया जाएगा। आदर्श रूप से, यह राशि शून्य होनी चाहिए।";

(छ) तालिका संख्या 6ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

6ण	वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01, प्ररूप आईटीसी-02 और आईटीसी-02क के माध्यम से उपभोग आईटीसी के विवरण (अर्थात् जीएसटीआर 3ख, ट्रान-1 और ट्रान-11 के अतिरिक्त अन्य फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आईटीसी) यहाँ घोषित किए जाएंगे।
----	---

(ज) तालिका संख्या "7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

7क, 7क1, 7क2, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	अपात्रता के कारण या सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37, 37क, 38, 39, 42 और 43 के अंतर्गत आवश्यक प्रत्यावर्तन के कारण प्रत्यावर्तित इनपुट कर क्रेडिट के विवरण यहाँ घोषित किए जाएंगे। इस कॉलम में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अंतर्गत प्रत्यावर्तित किसी भी इनपुट कर क्रेडिट के विवरण और प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 या प्ररूप जीएसटी ट्रान-1I के अंतर्गत दावा किए गए अपात्र संक्रमण क्रेडिट के विवरण और बाद में प्रत्यावर्तित किए गए विवरण भी सम्मिलित होने चाहिए। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से प्रत्यावर्तित कोई भी आईटीसी या ऊपर किसी भी पंक्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कोई अन्य प्रत्यावर्तन 7ज में घोषित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए, पंजीकृत व्यक्ति के पास या तो तालिका 7क से 7ङ में अपनी प्रत्यावर्तन संबंधी जानकारी अलग से भरने या केवल तालिका 7ज के अंतर्गत प्रत्यावर्तन की पूरी राशि रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।
--	---

(झ) तालिका संख्या 8ख के सामने, "ब्यौरे अपलोड करें।" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 6ख में घोषित इनपुट कर क्रेडिट यहाँ ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा।"

(ञ) दूसरे कॉलम में तालिका संख्या 8ज के सामने "घोषित" शब्द के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष में प्राप्त" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ट) तालिका संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

8ज1	8छ में से, माल के आयात पर इनपुट कर क्रेडिट जो अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा।
-----	---

(v) पैराग्राफ 7 में,-

(क) "30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया है।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, भाग V में उस वित्तीय वर्ष के लेन-देन के विवरण सम्मिलित हैं जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर के महीनों के लिए फाइल प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित किया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है।";

(ख) सारणी में, -

(I) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या "10 और 11" के सामने, "जो 30 नवंबर 2024 तक फाइल किए गए थे, यहाँ घोषित किए जाएंगे।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 10 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या डेबिट नोट या उसी के ऊपरी संशोधन के माध्यम से बढ़ाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में या प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहाँ घोषित किए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 11 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में या प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहाँ घोषित किए जाएंगे।";

(II) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 12 के सामने, "वित्तीय वर्ष 2017-18" शब्दों और अंकों से आरम्भ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प होगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, वित्तीय वर्ष के प्रत्यावर्तित आईटीसी का सकल मूल्य जो अगले वित्तीय वर्ष में फाइल रिटर्न के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया है जो 30 नवंबर तक फाइल किया गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा (यह तालिका 7 का हिस्सा नहीं होगा)। अगले वित्तीय वर्ष के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।";

(III) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 13 के सामने, "वित्तीय वर्ष 2017-18" शब्दों और अंकों से आरम्भ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प होगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, वित्तीय वर्ष से संबंधित प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी के विवरण किंतु इसके लिए आईटीसी अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के रिटर्न में उपभोग किया गया था जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया था, यहाँ घोषित किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(क) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।

तथापि, कोई भी आईटीसी जो किसी वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु अगले वित्तीय वर्ष में पुनः उपभोग किया गया था, ऐसे आईटीसी के पुनः उपभोग के विवरण केवल अगले वित्तीय वर्ष के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर-9 की तालिका 6ज में प्रस्तुत किए जाएंगे। यही यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाना है।";

(vi) पैराग्राफ 8 में, सारणी में, दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या "15क, 15ख, 15ग और 15घ", "15ङ, 15च और 15छ", 16क, 16ख, 16ग, और "17 और 18" के सामने, "2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(vii) पैराग्राफ 9 में, "केवल" शब्द के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या" शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, -

(क) सारणी में,-

(i) भाग II में, "वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक मंपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान " शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 7 के सामने, "कराधेय आवर्त का समाधान " शीर्षक के अधीन,-

(क) क्रम संख्या घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

घ1	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]				
----	--	--	--	--	--

(ख) दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या ङ के सामने, अक्षर और कोष्ठकों "(क-ख-ग-घ)" के स्थान पर अक्षर और कोष्ठक "(क-ख-ग-घ-घ1)" रखे जाएंगे;

(ii) भाग III में "संदत्त कर का समाधान" शीर्षक के अधीन,-

(क) क्रम संख्या 9 के सामने "दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान " शीर्षक के अधीन,-

(I) प्रविष्टि क्रम संख्या ट-1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

ट-2	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]	NA				
-----	--	----	--	--	--	--

(II) दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या द के सामने, "संदाय" शब्द के स्थान पर "संदेय" शब्द रखा जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 11 के सामने, "अतिरिक्त संदेय रकम, किंतु संदत्त नहीं गई रकम (ऊपर तालिका उपरोक्त मारणी 6, 8 और 10 में विनिर्दिष्ट कारणों से)" शीर्षक के अधीन, -

(I) "नकदी" शब्द के स्थान पर "नकदी या आईटीसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) "अन्य" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]	NA				
--	---	----	--	--	--	--

(iii) भाग V में "गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश" शीर्षक के अधीन, -

(क) "नकदी" शब्द के स्थान पर "नकदी या आईटीसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "अन्य" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]					
--	---	--	--	--	--	--

(v) भाग V के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

17	संदेय और संदत्त विलंब शुल्क		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	एकीकृत कर		
ख	केंद्रीय कर		
ग	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर		

(ख) "अनुदेश" शीर्षक के अधीन,-

(i) पैराग्राफ 4 में, सारणी में,-

(क) दूसरे कॉलम में, "2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तालिका संख्या 7घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

7घ1	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित की जाएंगी।
-----	---

(घ) दूसरे कॉलम में, तालिका संख्या 7ड के सामने, "सारणी 7 ख, सारणी 7 ग, सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार, आदि) " शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "सारणी 7 ख, सारणी 7 ग, सारणी 7घ और सारणी 7घ 1 में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार, धारा 9 की उपधारा (5) में की जाने वाली आपूर्ति आदि) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) दूसरे कॉलम में तालिका 7च के सामने, "(4 ड - 4छ) अक्षर, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर "(4 ड - 4छ-4छ1)" अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 6 में, सारणी में-

(क) दूसरे कॉलम में तालिका संख्या 14 के सामने, "2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तालिका संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

17	धारा 47(2) के अनुसार विलंब शुल्क देय होगा।
----	--

(iii) पैराग्राफ 8 में, "केवल" शब्द के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-02ए

[नियम 110 और 111 देखें]

भाग क

अपील/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनंतिम पावती

<आवेदक का नाम><जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/संदर्भ संख्या/बीओ आईडी (दिनांक सहित)>

"आपकी अपील <आवेदन संदर्भ संख्या> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दायर कर दी गई है।

आपने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पोर्टल पर एक अपील/आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी अनंतिम पावती दी जाती है और इसका दाखिला/स्वीकृति रजिस्ट्री/न्यायाधीश द्वारा जाँच के अधीन है। अनंतिम पावती संख्या <दैनिक संख्या> दिनांक _____ है।"

जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर -

दाखिल करने की तिथि -

दाखिल करने का समय -

दाखिल/अनंतिम पावती संख्या -

अपील दायर करने वाले व्यक्ति का नाम -

अपील शुल्क -

संव्यवहार संख्या -

<हस्ताक्षर>

स्थान:

दिनांक:

नाम

पदनाम

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से

भाग ख

अपील/आवेदन के पंजीकरण/अस्वीकार की सूचना देने वाली अंतिम पावती

आपकी अपील/आवेदन <आवेदन संदर्भ संख्या> दिनांक <दिनांक> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दाखिल/पंजीकृत हो गई है।

जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर -

केस पंजीकरण संख्या -

स्वीकृति की तिथि -

उपस्थिति की तिथि:

न्यायालय संख्या:

समय:

पीठ:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ——— दिनांक ——— है, अस्वीकृत कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ——— दिनांक ——— है, को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है।

खारिज करने की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ——— दिनांक ——— है, गलत क्षेत्राधिकार के कारण अस्वीकृत कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर
जीएसटीएटी..... पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या — दिनांक — है, आपूर्ति स्थान संबंधी मुद्दे की गलत प्रयोज्यता के कारण अस्वीकार कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर
जीएसटीएटी..... पीठ"

12. .उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क"

[नियम 113(2) देखें]

माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् आदेश और मांग का सारांश
क्या पुनः प्रेषण आदेश है: हाँ / नहीं

आदेश संदर्भ संख्या-

आदेश की तारीख-

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/ यूआईएन -	
2.	अपील मामला संदर्भ संख्या -	
3.	अपीलार्थी का नाम -	
4.	प्रत्यर्थी का नाम -	
5.	आदेश जिमके विरुद्ध अपील की गई -	

क) आदेश प्रकार -- मांग, पंजीकरण, प्रतिदाय, प्रवर्तन, प्रतिदाय और अन्य

ख) संदर्भ संख्या -

तारीख -

- (यदि उत्तर हाँ है, तो मांग निम्नप्रकार परिमाणित है:)

[illegible]

आपूर्ति का स्थान/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद में राशि					
	निर्धारित राशि					
पंक्तियाँ जोड़ें						

खंड-II

10. अन्य आदेशों और मांग आदेशों के लिए जो परिमाणित नहीं हैं

समुचित अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुद्दे	जीएसटी अपीलीय अधिकरण का आदेश

11. यदि निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया गया:

क) पुनः प्रेषित किया गया: (उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करें जिसे पुनः प्रेषित किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोई अन्य)

ख) निर्देश जिनके अधीन पुनः प्रेषित किया गया, यदि कोई हो: (मुक्त पाठ, अधिकतम 1000 शब्द)

खंड-III (लाभ-विरोधी)

12. संक्षेप में आदेश: (ड्रॉप-डाउन मान)

क) मूल्य में कमी

ख) प्राप्तकर्ता को उम राशि की वापसी जो हस्तांतरित नहीं की गई, ब्याज सहित

ग) उपभोक्ता कल्याण निधि/निधियों में जमा

घ) अधिरोपित शास्ति (राशि विनिर्दिष्ट की जानी है)

ङ) पंजीकरण का रद्दकरण

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

पदनाम:

क्षेत्राधिकारः"

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएमटी एपीएल-05 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएमटी एपीएल-05

नियम 110(1) देखें

माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

1. जीएमटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन -
2. अपीलकर्ता का नाम -
3. अपीलकर्ता का पता -
4. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण):

(क)

(ख)

(ग)

.....

(प्रत्यर्थी(गण) का पदनाम और कार्यालय निर्दिष्ट करें)

5. आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(ख) नाम..... मोबाइल ईमेल

संख्या -

7. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है - हाँ/नहीं
8. अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय -
9. अपील किए गए आदेश की संचार तिथि --
10. अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दिए गए आदेश का विवरण:

दिनांक -

ग) विवाद की अवधि (DDMMYYYY) से (DDMMYYYY) तक
(मांग संबंधी आदेशों के लिए लागू)

11. क्रम संख्या 9 में निर्दिष्ट आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का विवरण: (उक्त प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय निर्दिष्ट करें)

12. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(ख) नाम..... मोबाइल ईमेल

13. अधिनियम (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर)

14. विवाद के अधीन मामले का विवरण:

क) विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त

ख) विवाद के अधीन मामले की श्रेणी (अनुलग्नक ख के अनुसार)

ग) जब्त किए गए माल का वाजार मूल्य, जहाँ माल जब्त किया गया है

15. मामले का मांगंश (अनुलग्नक ग के अनुसार)

16. अपीलकर्ता के बारे में (अनुलग्नक घ के अनुसार)

17. तथ्यों का कथन (अनुलग्नक ड के अनुसार)

18. अपील के आधार

19. प्रार्थना

19. प्रार्थना
20. मृजित, विवादित और स्वीकृत मांग का विवरण:

[illegible]

21. स्वीकृत राशि और पूर्व-जमा का भुगतान विवरण:

(क) देय राशि का विवरण:

विवरण	केंद्रीय कर		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल राशि	
	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)
(क) कर										
(ख) व्याज										
(ग) जर्माना										
(घ) फीस										
(ङ) अन्य प्रभार										

(ख) स्वीकृत राशि और पूर्व-जमा का भुगतान विवरण (विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा)

क्र.सं.	विवरण	देय कर	नकद/क्रेडिट लेजर के द्वारा भुगतान	डेबिट प्रविष्टि संख्या	भुगतान किया गया कर की राशि			
					एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एकीकृत कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
2	केंद्रीय कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
3	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
4	उपकर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					

(ग) व्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क और कोई अन्य देय और भुगतान की गई राशि:

क्र.सं.	विवरण	देय राशि				डेबिट प्रविष्टि संख्या	भुगतान की गई राशि			
		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	व्याज									
2	जुर्माना									
3	विलंब शुल्क									
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)									

सत्यापन

मैं, < _____ >, एतद्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे पास सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध मेरे द्वारा या मेरी ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई है या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।

आज _____ दिन _____ माह _____ 20... को
सत्यापित।

< हस्ताक्षर >

स्थान: आवेदक का नाम

दिनांक: पदनाम/स्थिति

अनुलग्नक -क

(आदेश प्रकार)

क्र.सं.	'आदेश प्रकार' की सूची
1	मांग आदेश
2	प्रतिदाय आदेश
3	पंजीकरण आदेश
4	प्रवर्तन आदेश
5	वसूली आदेश
6	अन्य आदेश

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वंप्रणर से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में	

	वताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
17	जीएमटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएमटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
26	अंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग मृजित/मंशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

33	मंपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के क्षमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37	अन्य-		
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे		

अनुलग्नक- ग

मामले का सारांश (जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी का इनकार/अवरोधन				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
4	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय				
5	जुर्माने का लगाना				
6	व्याज या विलंब शुल्क या जुर्माने का लगाना				
7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)				
8	कोई अन्य				

उपयोगकर्ता एक से अधिक मुद्दा जोड़ सकता है

क्र.सं.	'आदेश प्रकार' की सूची	केस सारांश- संबंधित मुद्दा
1	मांग आदेश	1) कर का कम या भुगतान न करना 2) जुर्माना लगाना 3) व्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना 4) वर्गीकरण विवाद
2	प्रतिदाय आदेश	1) त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय
3	पंजीकरण आदेश	1) पंजीकरण 2) पंजीकरण रद्द करना
4	प्रवर्तन आदेश	1) जुर्माना लगाना 2) व्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना

5	वसूली आदेश	1) आईटीसी से अस्वीकार/अवरुद्ध करना
6	अन्य आदेश	कोई अन्य

अनुलग्नक -घ

अपीलकर्ता के बारे में

संघटन / पहचान संख्या	व्यवसाय का संघटन	जिस अधिनियम के अधीन निगमित	व्यवसाय प्रारंभ की तिथि	पता	व्यवसाय की प्रकृति	कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता को निम्नलिखित स्वतंत्र पाठ रूप में बताना है:

अपीलकर्ता को उल्लेख करना है:

क. उसके व्यवसाय का संविधान (जैसे कंपनी, साझेदारी, एचयूएफ, ट्रस्ट, आदि)

ख. अधिनियम जिसके अधीन निगमित, यदि कोई हो (जैसे कंपनी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, आदि)

ग. इसके संविधान की तिथि

घ. गठन प्राधिकारी द्वारा इसे दी गई संघटन/पहचान संख्या (जैसे कंपनी के मामले में कॉर्पोरेट पहचान संख्या, आदि)

ङ. इसके मुख्य कार्यालय का पता और राज्य में इसके मुख्य व्यवसाय स्थल का पता

च. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी और जिस तिथि से जीएसटी के अधीन पंजीकृत

छ. व्यवसाय की प्रकृति जिसमें वह संलग्न है (जैसे निर्माता/थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता/सेवा प्रदाता, आदि)

ज. अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अनुलग्नक- ङ

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई कर्ता	तिथि	संक्षिप्त विवरण
<आवश्यक होने पर पंक्तियाँ जोड़ें>			

14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-06

[नियम 110(2) देखें]

धारा 112 की उप-धारा (5) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवाद

क्र.सं.	विवरण																														
1	अपील संख्या -																														
2	वर्तमान प्रतिवाद दाखिल कर्ता: - जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/सीआरएन/एआरएन - नाम - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर - संचार के लिए पता - अधिकारी का पदनाम - कार्यालय विवरण - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर -																														
3	आदेश संख्या - (अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश) - तिथि-																														
4	अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और क्षेत्राधिकार पदनाम: क्षेत्राधिकार: आदेश पारित कर्ता:																														
5	अपील किए गए आदेश की संचार तिथि -																														
6	प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, जहाँ उपलब्ध - उक्त प्रतिनिधि की ई-मेल आईडी - उक्त प्रतिनिधि का संपर्क नंबर																														
7.	विवाद के अधीन मामले का विवरण -																														
(i)	विवाद की अवधि -																														
(ii)	<table border="1"> <tr> <th>विवाद के अधीन राशि</th><th>केंद्रीय कर</th><th>राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर</th><th>एकीकृत कर</th><th>उपकर</th></tr> <tr> <td>(क) कर</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ख) व्याज</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ग) जुमाना</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(घ) फीस</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	विवाद के अधीन राशि	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	एकीकृत कर	उपकर	(क) कर					(ख) व्याज					(ग) जुमाना					(घ) फीस					(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)				
विवाद के अधीन राशि	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	एकीकृत कर	उपकर																											
(क) कर																															
(ख) व्याज																															
(ग) जुमाना																															
(घ) फीस																															
(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)																															
(iii)	जब्त किए गए माल का बाजार मूल्य, जहाँ सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्त है -																														
8	सम्मिलित मुद्दों का सारांश और उसके उत्तर का सारांश - अनुलग्नक-क																														
9	करदाता या केंद्रीय/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि - या वर्तमान प्रतिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि -																														
	मांग तालिका																														
10	<table border="1"> <tr> <th>श्रेणी</th><th>कर</th><th>निर्णायक प्राधिकारी के</th><th>अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी</th><th>इस प्रतिवाद को</th></tr> </table>	श्रेणी	कर	निर्णायक प्राधिकारी के	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी	इस प्रतिवाद को																									
श्रेणी	कर	निर्णायक प्राधिकारी के	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी	इस प्रतिवाद को																											

		आदेश के अनुसार	द्वारा निर्धारित	दाखिल करने वाले व्यक्ति के अनुसार
	कर	केंद्रीय कर		
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	व्याज	केंद्रीय कर		
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	जुर्माना	केंद्रीय कर		
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	फीस	केंद्रीय कर		
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	अन्य	केंद्रीय कर		
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
	प्रतिदाय	केंद्रीय कर		
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
		कुल		
11	प्रतिवाद के जापन में दावा की गई राहत			
12	उत्तर का सारांश (अनुलग्नक ख)			
13	प्रतिवाद के आधार			
14	पैग-वार उत्तर (अलग से अपलोड करें)			
	सत्यापन: मैं, < _____ >, एतद्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे कब्जे में स्थित मूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।			

आज _____ दिन _____ माह _____ 20... को मत्वापित। स्थान : तिथि : <हस्ताक्षर> इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम: आवेदक/अधिकारी का पदनाम/स्थिति :"

अनुलग्नक -क

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में	

		निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/बमूली की शुरुआत/बमूली का विशेष तरीका (मभी प्रकार की कुकी)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30	पूर्व आदेश के मुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग मृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
34	शक्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37	अन्य-		
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे		

अनुलग्नक -ख

उत्तर का सारांश

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं)

(प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी का इनकार/अवरोधन				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
4	वृष्टिपूर्ण प्रतिदाय				
5	जुमाने का लगाना				

6	व्याज या विलंब शुल्क या ज़माने का लगाना				
7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)				
8	कोई अन्य				

"

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-07

[नियम 111 देखें]

(धारा 112 की उप धारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन)

- अपीलकर्ता/अपीलकर्ता के कार्यालय का नाम और पदनाम:
 - नाम
 - पदनाम
 - न्यायाधिकार
 - राज्य/केंद्र
- जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन (प्रत्यर्थी का) -
- प्रत्यर्थी का नाम
- प्रत्यर्थी का पता
- जिसके विरुद्ध अपील की गई है वह आदेश - संख्या - दिनांक -
- अपील किए गए आदेश पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण का न्यायाधिकार सहित पूरा पदनाम -
- अपील किए गए आदेश की संसूचना की दिनांक -
- विवाद के अधीन मामले का विवरण:
 - विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त मुद्दा
 - विवाद की अवधि -
 - मामले का सारांश (अनुबंध क के अनुसार)
 - जब्त किए गए माल का बाज़ार मूल्य, जहां सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्त करना है
- प्रत्यर्थी के बारे में (अनुबंध ख के अनुसार)
- क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है- हां/नहीं
- तथ्यों का कथन (अनुबंध ग के अनुसार)
- अपील के आधार -
- प्रार्थना -
- विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे - (अनुबंध घ के अनुसार)
- मांग का विवरण:

विवरण	केंद्रीय कर			राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			एकीकृत कर			उपकर			कुल राशि		
	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल-01/डीआर-सी-07 में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (मिस्टम में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल-01/डीआर-सी-07 में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (मिस्टम में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल-01/डीआर-सी-07 में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (मिस्टम में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल-01/डीआर-सी-07 में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (मिस्टम में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क) (एपीएल-01/डीआर-सी-07 में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (मिस्टम में स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)
(क) कर															
(ख) व्याज															
(ग) श्रामिक															
(घ) प्रीम															
(ङ) अन्य प्रभार															

में गतद्वारा घोषणा करता/करती है कि अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (3) के अनुसार मुझे आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह आवेदन दाखिल करने के लिए विधिवत प्राधिकृत/निर्देशित किया गया है और उक्त निर्देश/प्राधिकरण की मृत्यु प्रति इसके साथ अपलोड की जा रही है।

स्थान:

दिनांक:

<हस्ताक्षर>

अधिकारी का नाम:

पदनाम:

न्यायाधिकार:

मामले का सारांश

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र. संख्या	मुद्दा संबंधित	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का रुख	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण के रद्दीकरण का प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी की अस्वीकृति/रोकना				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
5	गलत प्रतिदाय				
6	शास्ति का आरोपण				
7	व्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना का आरोपण				
8	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संगत स्तंभों में एचएएमएन का उल्लेख करें)				
9	कोई अन्य				

अनुलपत्रक- ख

प्रत्यर्थी के बारे में

व्यवसाय का संविधान	पता	व्यवसाय की प्रकृति	कोई अन्य संगत तथ्य
जीएसटीएन/अस्थायी पहचान	व्यवसाय का संविधान	कोई अन्य संविधान व्यवसाय	पता व्यवसाय की प्रकृति कोई अन्य संगत तथ्य

अनुलपत्रक- ग

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई करने वाला	दिनांक	संक्षिप्त विवरण
---------------------	--------------------	--------	-----------------

अनुबंध- घ

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किमी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किमी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वंप्रणाम से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण वताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण वताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या मुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

34	शान्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुत्ताफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37	अन्य-		
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. CT-8-0014-2025-Sec-1-पांच (CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0014-2025-Sec-1-पांच (CT) (37), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बन्दिना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd September 2025

No. CT/8/0014/2025-Sec-1-05(CT)(37) : In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2025.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from 22nd day of September, 2025.
2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 31A, in sub-rule (2), for the figure "128", the figure "140" shall be substituted.
3. In the said rules, with effect from the 1st day of April, 2025, in rule 39, in sub-rule (1A), after the words and figures "of section 9", following shall be inserted, namely: —
"of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2025)".
4. In the said rules, with effect from the 1st day of October, 2025, in rule 91, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —
"(2). The proper officer, on the basis of identification and evaluation of risk by the system, shall make an order in **FORM GST RFD-04**, within a period not exceeding seven days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 90:
Provided that the proper officer, for reasons to be recorded in writing, may not grant refund on provisional basis and proceed with the order under rule 92:
Provided further that the order issued in **FORM GST RFD-04** shall not be required to be revalidated by the proper officer."
5. In the said rules, in rule 110, —
(a) in sub-rule (1), —
(i) after the words "electronically and provisional acknowledgement", the words, letters and figures "in Part A of FORM GST APL-02A" shall be inserted;
(ii) the proviso shall be omitted;
(b) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted;
(c) in sub-rule (4), for the words, letters and figures "in FORM GST APL-02", wherever they occur, the words, letters and figures "in Part B of FORM GST APL-02A" shall be substituted.
6. In the said rules, after rule 110, the following rule shall be inserted, namely: —
"110A. Procedure for the Appeals to be heard by a single Member Bench. —

(1) The President or the Vice-President if so authorised by the President in respect of any State Bench, may either on his own motion or an application filed by the parties to the appeal, scrutinise the appeal and transfer such appeal to any single Member Bench within the respective State if the appeal does not involve a question of law.

(2) In case the single Member Bench, while hearing the appeal allotted under sub-rule (1), comes to a conclusion that the appeal may involve a question of law, such Bench shall for reasons to be recorded in writing send back the appeal to the President or the Vice-President, as the case may be, for reconsideration.

(3) During the scrutiny of appeal under sub-rule (1) or reconsideration of appeal under sub-rule (2), the fact as to whether in respect of the same taxable person within a State, the same issue for the same or a different tax period has already been heard or decided by a Bench comprising of a Technical Member and a Judicial Member, shall be taken into consideration and where such a matter exists, the appeal shall be heard by a Bench comprising of a Technical Member and a Judicial Member.

(4) For the purpose of reckoning the amount of fifty lakh rupees under sub-section (8) of section 109, the cumulative tax or input tax credit involved, or the amount of fine, fee or penalty, shall be determined with reference to all issues and all tax periods covered in the order appealed against."

7. In the said rules, in rule 111, —

(a) in sub-rule (1), -

(i) after the words "provisional acknowledgement", the words, letters and figures "in Part A of FORM GST APL-02A" shall be inserted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), -

(i) for the words, letters and figures "in FORM GST APL-02", wherever they occur, the words, figures and letters "in Part B of FORM GST APL-02A" shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the words "self-certified copy" the words "self-attested copy" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 113, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2) The Appellate Tribunal shall, along with its order under sub-section (1) of section 113, issue, or cause to be issued, a summary of the order in FORM GST APL-04A clearly indicating the final amount of demand confirmed by the Appellate Tribunal."

9. In the said rules, in FORM GSTR-9, -

(a) in the Table, -

(i) in Pt.III, under the heading "Details of ITC for the financial year", -

(A) against serial number 6, under the heading "Details of ITC availed during the financial year", -

(I) after the serial number A, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

"A1	ITC of preceding financial year availed in the financial year				
-----	---	--	--	--	--

	(which is included in 6A above) other than ITC reclaimed under rule 37 and rule 37A				
A2	Net ITC of the financial year =(A-A1)"				

(II) in the entry against serial number H, the words, brackets and letter "(other than B above)" shall be omitted;

(III) for serial number J and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"J	Difference (I-A2 above)"				
----	--------------------------	--	--	--	--

(IV) for serial number M and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

M	ITC availed through ITC-01, ITC 02 and ITC-02A (other than GSTR-3B and TRAN Forms)				
---	--	--	--	--	--

(B) against serial number 7, under the heading "Details of ITC reversed and Ineligible ITC for the financial year",-

(I) after serial number A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

A1	As per Rule 37A				
A2	As per rule 38"				

(C) against serial number 8, under the heading "Other ITC related information",-

(I). for the entries against serial number B. the following shall be substituted, namely:-

B	ITC as per 6(B) above"	<Auto>			
---	------------------------	--------	--	--	--

(II). in the entries against serial number H, after the words, brackets, figure and letter "(as per 6(E) above)", the words "in the financial year" shall be inserted;

(III). after serial number H and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely, -

"H1	IGST Credit availed on Import of goods in next financial year"					
-----	--	--	--	--	--	--

(IV). for serial number I and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely:-

"I	Difference [G- (H +H1)]"					
----	--------------------------	--	--	--	--	--

(ii) in Pt. IV, under the heading "Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year"-

(A) for serial number 9, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

9	Description	Tax Payable	Paid through cash	Paid through ITC				Total Paid	Tax	Difference between Tax payable and paid
				Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess			
	1	2	3	4	5	6	7	8	=	2-8"
								3+4+5+6+7		
	Integrated Tax									
	Central Tax									
	State/UT Tax									
	Cess									
	Interest									
	Late fee									
	Penalty									
	Other									

(iii) in Pt. V, under the heading "Particulars of the transactions for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period."-

(A) for serial numbers 10, 11, 12, 13 and 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

10	Supplies / tax declared through Invoices / Debit Note / Amendments (+)					
11	Supplies / tax reduced through Amendments / Credit Note (-)					
12	ITC of the financial year reversed in the next financial year					
13	ITC of the financial year availed in the next financial year					
14	Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above					
	Description	Payable	Paid	Difference		
	1	2	3	2-3"		
	Integrated Tax					
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Cess					
	Interest					

"(B) under the heading "Instructions", -

(i) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted namely:-

"1. Terms used:

- GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- UQC: Unit Quantity Code
- HSN: Harmonised System of Nomenclature Code
- ITC: Input Tax Credit";

(ii) in paragraph 2A,-

- after the words, "financial year only", the words "for which annual return is being filed" shall be inserted;
- after the words "not be reported here", the words "until unless specifically required" shall be inserted;

(iii) in paragraph 4, -

(A) after the words, letters and figures "or FY 2023-24" the words, letters and figures "or FY 2024-25" shall be inserted;

(B) In the Table, -

- in second column, against table number "5D, 5E and 5F", after the letters and figures "FY 2023-24", the letters and figures "and FY 2024-25," shall be inserted;
- in second column, against table numbers 5H, 5I and "5J and 5K", for the word and figures "2022-23 and 2023-24", the figures and word "2022-23, 2023-24 and 2024-25," shall be substituted;

(iv) In paragraph 5, in the Table, -

- in second column, against table number 6A, for the word "taxpayer" the words "financial year" shall be substituted;
- after table number 6A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely, -

6A1	ITC in respect of the preceding financial year, but availed through FORM GSTR-3B of April to October of the Financial Year for which annual return is furnished, filed till 30th November of the Financial Year for which annual return is furnished and included in auto populated values in table 6A above, should be declared here. Also, if any ITC which was claimed and reversed (due to rule 37 or rule 37A) in any of the preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall not be reported here as this will be reported in the Table 6H below. Also, if any ITC which was claimed and reversed (other than due to rule 37 or rule 37A) in preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall be reported here and this will not be reported in the Table 6H below.
-----	---

(C) in second column, against table number 6B, -

(I) after the words, figures, brackets and letters "separately under 6(H) below." the following shall be inserted, namely: -

"However, for FY 2024-25 onwards, in case of ITC availed, reversed and then reclaimed, ITC which was availed (for the first time) should be declared in this table. ITC which was reversed should be declared in the Table 7 and ITC that is reclaimed should only be declared in Table 6H.";

(II) for the figures and word "2022-23 and 2023-24" the figures and word "2022-23, 2023-24 and 2024-25," shall be substituted.

(D) in second column, against table numbers 6C and 6D for the words and figures "2022-23 and 2023-24" the words and figures "2022-23, 2023-24 and 2024-25," shall be substituted.

(E) in second column, against table number 6H after the words "shall be declared here." the following shall be inserted, namely:-

"However, for FY 2024-25 onwards, in case of ITC availed, reversed and then reclaimed, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) which was availed (for the first time) should be declared in Table 6B above. ITC which was reversed should be declared in the Table 7 and ITC that is reclaimed should only be declared in here.

Also, if any ITC which was claimed and reversed (due to rule 37 or rule 37A) in any of the preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall be reported here.

Also, if any ITC which was claimed and reversed (other than rule 37 or rule 37A) in preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall not be reported here as it is to be reported in the Table 6A1 above.";

- (F) in second column, against table number 6J, after the words "this amount should be zero.", the following shall be inserted, namely: -
 "However, for FY 2024-25 onwards, the difference between the total amount of net ITC of the financial year availed through FORM GSTR-3B as per Table 6A2 and input tax credit declared in row B to H shall be auto populated here. Ideally, this amount should be zero.";
- (G) for table number 6M and the entries relating thereto, the following table and entries shall be substituted, namely, -

6M	Details of ITC availed through FORM ITC-01, FORM ITC-02 and ITC-02A (i.e. ITC availed through Forms other than GSTR 3B, TRAN-1 and TRAN-II) in the financial year shall be declared here.
----	--

- (H) for table number "7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H" and the entries relating thereto, the following table and entries shall be substituted namely, -

7A, 7A1, 7A2, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required under rule 37, 37A, 38, 39, 42 and 43 of the MPGST Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5) of the MPGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 or any other reversal not specified in any row above shall be declared in 7H. For FY 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only.
---	---

- (I) against table number 8B, after the words and brackets "(without the CA certification).", the following shall be inserted, namely: -
 "However, for FY 2024-25 onwards, the input tax credit as declared in Table 6B shall be auto-populated here." shall be inserted.
- (J) in second column against table number 8H after the words "The input tax credit", words "availed in the financial year" shall be inserted.
- (K) after table number 8H and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

8H1	Out of 8G, the input tax credit on Import of goods which is availed in next financial year shall be declared here.
-----	--

(v) in paragraph 7.-

- (A) after the words, letters and figures "filed upto 30th November, 2024" the following shall be inserted, namely:-

“From FY 2024-25 onwards, Part V consists of particulars of transactions for the financial year for which annual return is furnished but declared in the FORM GSTR-3B filed for the months of April to October of next financial year, filed upto 30th November of next financial year.”;

(B) In the Table, –

(I) in second column, against table number “10 & 11”, after the words, letters and figures “30th November, 2024 shall be declared here” the following shall be inserted, namely:–

“From FY 2024-25 onwards, for Table 10, details of supplies or tax increased through invoices or debit note or upward amendment of the same pertaining to the financial year but furnished in FORM GSTR-1 or as amended in FORM GSTR-1A or furnished through invoice furnishing facility of April to October of the next financial year, filed upto 30th November of next financial year shall be declared here.

From FY 2024-25 onwards, for Table 11, details of supplies or tax reduced through invoices or credit note pertaining to the financial year but furnished in FORM GSTR-1 or as amended in FORM GSTR-1A or furnished through invoice furnishing facility of April to October of the next financial year, filed upto 30th November of next financial year shall be declared here.”;

(II) in second column, against table number 12, after the letters, words and figures “and 2023-24, the registered person shall have an option to not fill this table” the following shall be inserted, namely:–

“For FY 2024-25 onwards, aggregate value of reversed ITC of the financial year which has been reversed through the return filed in next financial year filed upto 30th November, shall be declared here (This will not be part of Table 7). Table 4(B) of FORM GSTR-3B of next financial year may be used for filling up these details.”;

(III) in second column, against table number 13, after the letters, words and figures “and 2023-24, the registered person shall have an option to not fill this table” the following shall be inserted, namely:–

“For FY 2024-25 onwards, details of ITC on supply of goods or services received pertaining to the financial year but ITC for the same was availed in return from April to October of next financial year filed upto 30th November, of next financial year shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B of April to October of next financial year may be used for filling up these details.

However, any ITC which was reversed in any of the financial years as per rule 37 or rule 37A but was reclaimed in next financial year, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the Table 6H of GSTR-9 to be filed for next financial year only. The same shall not to be reported here.”;

(vi) in paragraph 8, in the Table, in second column, against serial numbers “15A, 15B, 15C and 15D”, “15E, 15F and 15G”, 16A, 16B, 16C, and “17&18”. for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, wherever they occur, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;

(vii) in paragraph 9, for the word "only", the words "or electronic credit ledger" shall be substituted.

In the said rules, in FORM GSTR-9C, -

(a) in the Table,-

(i) in Pt. II, under the heading "Reconciliation of turnover declared in audited Annual Financial Statement with turnover declared in Annual Return (GSTR-9)", against serial number 7, under the heading "Reconciliation of Taxable Turnover",-

(A) after the serial number D and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

D1	Supplies on which tax is to be paid by ecommerce operators as per sub-section (5) of section 9 [Supplier to report]				
----	---	--	--	--	--

(B) in second column, against serial number E, for the letter and brackets (A-B-C-D)" the letters and brackets (A-B-C-D-D1)" shall be substituted;

(ii) in Pt. III under the heading "Reconciliation of tax paid",-

(A) against serial number 9 under the heading "Reconciliation or rate wise liability and amount payable thereon",-

(I) after the entry serial number "K-1" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

K-2	Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]	NA			
-----	--	----	--	--	--

(II) in second column, against serial number Q, for the word "paid" the word "payable" shall be substituted;

(B) against serial number 11, under the heading "Additional amount payable but not paid (due to reasons specified under Table 6,8 and 10 above)"-.

(I) for the word "Cash" the words and letters "cash or ITC" shall be substituted;

(II) after the entry relating to "Others", the following entry shall be inserted, namely: -

Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]	NA				
--	----	--	--	--	--

(iii) In Part V under the heading "Additional liability due to on-reconciliation", -

(A) for the word "Cash" the words and letters "cash or ITC" shall be substituted;

(B) after the entry relating to "Others", the following shall be inserted namely: -

Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]					
--	--	--	--	--	--

(v) after part V, the following shall be inserted, namely: -

17	Late fee payable and paid		
	Description	Payable	Paid
	1	2	3
A	Integrated Tax		
B	Central Tax		
C	State Tax/UT Tax		

(b) under the heading "Instructions".-

(i) in paragraph 4, in the Table, -

(A) in second column, for the figures and word "2022-23 and 2023-24", wherever they occur, the figures and word "2022-23, 2023-24 and 2024-25," shall be substituted;

(B) after table number 7D and entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

7D1	Supplies on which tax is to be paid by ecommerce operators as per sub-section (5) of section 9 shall be declared here by the supplier.
-----	--

(C) in second column, against table number 7E, for the words, figures, letters and brackets "reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C, 7D above." the words, figures, letters and brackets "reverse charge, supplies made sub-under section (5) of section 9 etc.) declared in Table 7B, 7C, and 7D and 7D1 above." shall be substituted;

(D) in second column against table 7F, for the letters, figures and brackets "(4N – 4G)", the letters, figures and brackets "(4N – 4G- 4G1)" shall be substituted;

(ii) in paragraph 6, in the Table-

(A) in second column against table number 14, for the figures and word "2022-23 and 2023-24", the figures and word "2022-23, 2023-24 and 2024-25," shall be substituted;

(C) after the table number 16 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

17	Late fee will be payable as per section 47(2).
----	--

(iii) in paragraph 8, for the word "only", the words "or electronic credit ledger." shall be substituted.

11. In the said rules, after FORM GST APL-02, the following Form shall be inserted, namely: —

"FORM GST APL-02A

[See rules 110 and 111]

Part A

Provisional Acknowledgment for submission of Appeal/Application

<Name of applicant><GSTIN/Temp ID/UIN/Reference Number/BO ID with date>

"Your appeal has been successfully filed against <Application Reference Number>.

An appeal/application has been submitted by you on the Goods and Services Tax Appellate Tribunal portal which is hereby provisionally acknowledged and its acceptance/admission is subject to scrutiny by the Registry/Bench. The Provisional Acknowledgement number is <Daily Number > dated _____."

GSTIN/Temporary ID/UIN/ENR -

Date of filing -

Time of filing -

filing/provisional acknowledgement number

Name of the person filing the appeal -

Appeal fees -

Transaction Id -

<Signature>

Place:

Date:

Name

Designation

ON Behalf of GST Appellate Tribunal

Part B**Final Acknowledgement communicating registration/rejection of Appeal/Application**

Your appeal/application has been successfully filed/registered against <application reference number > dated < Date>.

GSTIN/Temporary ID/UIN/ENR -

Case Registration Number -

Date of acceptance -

Date of appearance:

Court Number:

Time:

Bench:

AR/JR/DR/R

GSTAT

Bench"

OR

Your appeal/application filed vide provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been rejected

Date of rejection:

AR/JR/DR/R

GSTAT

Bench

OR

Your appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been dismissed as withdrawn

Date of Dismissal:

AR/JR/DR/R

GSTAT

Bench"

OR

Your appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been Rejected due to Wrong Jurisdiction

Date of Rejection:

AR/JR/DR/R

GSTAT

Bench"

OR

Your Appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been rejected due to wrong applicability of place of supply issue.

Date of rejection:

AR/JR/DR/R

GSTAT

Bench"

12. In the said rules, after FORM GST APL-04, the following Form shall be inserted, namely: —

"Form GST APL-04 A

[See rule 113(2)]

Summary of the order and demand after issue of order by the Goods and Services Tax Appellate Tribunal

Whether remand order: Yes / No

Order Reference no.-

Date of order-

1. GSTIN/Temporary ID/UIN –
2. Appeal Case Reference no. –
3. Name of the appellant –

Date:-

4. Name of the Respondent –
5. Order appealed against –
 a) Order Type -- Demand, Registration, Refund, Enforcement, Refund & Others
 b) Ref Number – Date –
6. Personal Hearing – (All hearing dates)
7. Status of Order under Appeal- Confirmed/Modified/Rejected
 Confirmed – Order under Appeal is confirmed
 Modified – Order under Appeal is modified
 Rejected - - Order under Appeal is annulled
8. Order in brief: (Free text, Max 2500 characters)–
9. If demand order, then whether demand quantified: (Yes/No)
 (If the answer is YES, the demand quantified as follows:)

Section-I

Particulars	Central tax		State/UT tax		Integrated tax		Cess		Total	
	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(a) Tax										
(b) Interest										
(c) Penalty										
(d) Fees										
(e) Others										
(f) Refund										

Section-II

Place of Supply/ Name of State/UT	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Amount in dispute					
	Amount Determined					
Add rows						

10. For Other orders and Demand orders which are not quantified

Issues as raised by proper officer	Issues as determined by Appellate/Revisional authority	Order by GST Appellate Tribunal

11. If remanded with directions:

- a) Remanded to: (specify authority to whom remanded: Adjudicating Authority, Appellate authority, Revisional authority, any other)
- b) Directions subject to which remanded, if any: (Free text, Max 1000 words)

Section-III (Anti-profiteering)

12. Order In brief: (Drop -Down Values)

- a) Reduction in Price
- b) Return to Recipient of Amount not passed on, along with interest
- c) Deposit in Consumer Welfare Fund's
- d) Penalty Imposed (Amount to be specified)
- e) Cancellation of Registration

Place:

Date:

Signature:

Designation:

Jurisdiction: "

13. In the said rules, for FORM GST APL-05, the following Form shall be substituted, namely: —

"Form GST APL-05

See rule 110(1)

Appeal to the Goods and Services Tax Appellate Tribunal

1. GSTIN/Temporary ID/UIN –

2. Name of the appellant –

3. Address of the appellant –

4. Respondent(s):

(a)

(b)

(c)

.....

(Specify designation and office of the respondent(s))

5. Details of the authorised representative of the applicant:

(a) Name..... Mobile Email

(b) Name..... Mobile Email

.....

6. Order appealed against - APL-04/Rejected APL-02

Number -

Date-

7. Is place of supply involved in the dispute – Yes/No

8. Designation and Office of the Appellate Authority/Revisional Authority passing the order appealed against -

9. Date of communication of the order appealed against –

10. Details of order challenged before Appellate authority/Revisional Authority:

a) Number - Date –

b) Order type (As per Annexure A)

c) Period of dispute from (DDMMYYYY) To (DDMMYYYY)

(Applicable for demand related orders)

13. Act (CGST/SGST/IGST/Cess)

[illegible]

(c) Penalty																	
(d) Fees																	
(e) Other charges																	

21. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:

(a) Details of amount payable:

Particulars	Central Tax		State/UT Tax		Integrated		Cess		Total Amount	
	(a) Admitted Amount	(b) Pre-deposit (10% of disputed tax)	(a) Admitted Amount	(b) Pre-deposit (10% of disputed tax)	(a) Admitted Amount	(b) Pre-deposit (10% of disputed tax)	(a) Admitted Amount	(b) Pre-deposit (10% of disputed tax)	(a) Admitted Amount	(b) Pre-deposit (10% of disputed tax)
(a) Tax										
(b) Interest										
(c) Penalty										
(d) Fees										
(e) Other charges										

(b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 10% of the disputed admitted tax and cess)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/Credit Ledger	Debit entry no.	Amount of tax paid			
					Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Integrated tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
2	Central tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
3	State/UT tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

4	CESS		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid:

Sr. No.	Description	Amount payable				Debit entry no.	Amount paid			
		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Interest									
2	Penalty									
3	Late fee									
4	Others (specify)									

Verification

I, < _____ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is derived from information, documents and records in my possession and further that nothing has been concealed therefrom. I further declare that no appeal against the impugned order has been preferred by me or my behalf before any Court or Authority or is pending before any Court or Authority.

Verified _____ today, the _____ day of _____ month _____ 20...

< Signature >

Place:

Name of the Applicant

Date:

Designation/Status

Annexure A

(Order Type)

S No	List of 'Order Type'
1	Demand Order
2	Refund Order
3	Registration Order
4	Enforcement Order
5	Recovery Order
6	Other order

Annexure-B

(Category of case under dispute or issues involved)

S No	List of 'Category of case under dispute	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)
1	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN	
2	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act	Mention notification no. and date	
3	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
4	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
5	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
6	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
7	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
8	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order	
9	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
10	Rejection/acceptance of application for amendment to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
11	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
12	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
13	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
14	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
15	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
16	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

17	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
18	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee)	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order	
19	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
20	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
21	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
22	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
23	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
24	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
25	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
26	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
27	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
28	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
29	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
30	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
31	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
32	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

33	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
34	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
35	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
36	Anti profiteering related matter		
37	Others-		
38	Issues related to Place of supply of goods and/or services		

Annexure C

Case Summary (indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, Not exceeding 1000 characters in each cell)

Sr No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant
1	Registration				
2	Revocation of registration				
3	Denial/blocking of ITC				
4	Short or non-payment of tax				
4	Erroneous refund				
5	Levy of Penalty				
6	Levy of interest or late fee or fine				
7	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)				
8	Any other				

User can add more than one Issue

Order Type and Issue Related to mapping		
S No	Type of 'Order Type'	Case Summary- Issue related to
1	Demand Order	1) Short or nonpayment of tax 2) Levy of penalty 3) Levy of interest or late fee or fine 4) Classification dispute

2	Refund Order	1) Erroneous refund
3	Registration Order	1) Registration 2) Revocation of registration
4	Enforcement Order	1) Levy of penalty 2) Levy of interest or late fee or fine
5	Recovery Order	1) Denial/blocking of ITC
6	Other order	Any other

Annexure D

About Appellant

Constitution/ Identification Number	Constitution of Business	Statute under which incorporated	Date Commencement of business	Address	Nature of Business	Any other relevant fact

Appellant to state in free text form as follows:

Appellant to mention:

- his constitution of business (e.g. Company, Partnership, HUF, Trust, etc.)
- Statute under which incorporated, if any (e.g. Companies Act, Trust Act, Societies Registration Act, etc.)
- date of its constitution
- constitution identification number assigned to it by constituting authority (e.g. Corporate Identification Number in case of a company, etc.)
- Address of its Head Office and address of its principal place of business in State
- GSTIN/Temp Id and date from which registered under GST
- Nature of the business in which he/it is engaged (e.g. manufacturer /wholesaler /retailer / supplier of services, etc.)
- Any other relevant fact in view of the appellant

Annexure E

Statement of Facts (Case History)

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, not exceeding 1000 characters in each cell, Upload documents if necessary)

Reference/ no.	acknowledgment	Action By	Date	Brief Narration
Add rows, if required :- "				

14. In the said rules, for FORM GST APL-06, the following Form shall be substituted, namely: ---

“FORM GST APL-06

[See rule 110(2)]

Cross-objections before the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112

Sr. No.	Particulars																														
1	Appeal No. – Date of filing –																														
2	Present Cross-objection being filed by: - o GSTIN/Temporary ID/UIN/CRN/ARN – - o Name – - o e-mail id – - o Contact number – - o Address for communication – - o Designation of officer – - o Office details – - o e-mail id – - o Contact number -																														
3	Order no. – (<i>Order of the Appellate/Revisional authority</i>) - Date-																														
4	Designation alongwith jurisdiction of the officer passing the order appealed against – Designation: Jurisdiction: Order Passed by:																														
5	Date of communication of the order appealed against –																														
6	Name of the authorized representative, where available – e-mail id of said representative – Contact number of said representative																														
7	Details of the case under dispute –																														
(i)	Period of dispute -																														
(ii)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amount under dispute</th><th>Central tax</th><th>State/UT tax</th><th>Integrated tax</th><th>Cess</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) Tax</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(b) Interest</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(c) Penalty</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(d) Fees</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(e) Other charges (specify)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Amount under dispute	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess	(a) Tax					(b) Interest					(c) Penalty					(d) Fees					(e) Other charges (specify)				
Amount under dispute	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess																											
(a) Tax																															
(b) Interest																															
(c) Penalty																															
(d) Fees																															
(e) Other charges (specify)																															
(iii)	Market value of seized goods, where one of the issues involved is seizure/confiscation of goods -																														
8	Summary of Issues involved and summary of reply thereto – <i>Annexure A</i>																														
9	Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the taxpayer or the Commissioner of State/Central tax/UT tax, as the case may be - OR Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the person filing the present cross-objection -																														
10	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Demand Table</th></tr> <tr> <th>Category</th><th>Tax</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>As per order of adjudicating authority</td></tr> <tr> <td></td><td>As determined by Appellate/ Revisional authority</td></tr> <tr> <td></td><td>As per the person filing this cross objection</td></tr> </tbody> </table>	Demand Table		Category	Tax		As per order of adjudicating authority		As determined by Appellate/ Revisional authority		As per the person filing this cross objection																				
Demand Table																															
Category	Tax																														
	As per order of adjudicating authority																														
	As determined by Appellate/ Revisional authority																														
	As per the person filing this cross objection																														

	Tax	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Interest	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Penalty	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Penalty	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Fees	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Others	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Refund	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
11	Reliefs claimed in memorandum of cross-objections.				
12	Summary of reply (Annexure B)				

13	Grounds of Cross-objection
14	Para-wise reply (<i>upload separately</i>) Verification I, < _____ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is derived from information, documents and records in my possession and further that nothing has been concealed therefrom. Verified today, the _____ day of _____ month _____ 20... Place : _____ Date : _____ <Signature> Name of the person filing this cross-objection : Designation/Status of Applicant/officer :

Annexure A

Summary of Issues involved and summary of reply thereto

S. No	Category of case under dispute or Issues involved	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)	Summary of Reply
1.	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN		
2.	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act	Mention notification no. and date		
3.	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
4.	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
5.	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
6.	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
7.	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
8.	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order		
9.	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
10.	Rejection/acceptance of application for amendment to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		

11.	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
12.	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
13.	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
14.	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
15.	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
16.	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
17.	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
18.	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee)	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order		
19.	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
20.	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
21.	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		

22.	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
23.	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
24.	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
25.	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
26.	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
27.	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
28.	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
29.	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
30.	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
31.	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
32.	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/		

		Revisionary order		
33.	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
34.	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
35.	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
36.	Anti profiteering related matter			
37.	Others-			
38.	Issues related to Place of supply of goods and/or services			

Annexure B

Summary of Reply

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable)

(Not exceeding 1000 characters in each cell)

Sr No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/ Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant	Reply to ground/issue raised in Appeal before GSTAT
1	Registration					
2	Revocation of cancellation of registration					
3	Denial/blocking of ITC					
4	Short or non-payment of tax					
4	Erroneous refund					
5	Levy of Penalty					
6	Levy of interest or late fee or fine					
7	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)					
8	Any other					

"FORM GST APL-07

(Application to the Appellate Tribunal under sub section (3) of Section 112)

1. Name and designation of the appellant/Office of Appellant:
 - (a). Name
 - (b). Designation
 - (c). Jurisdiction
 - (d). State/Centre
2. GSTIN/Temporary ID/UIN (of the respondent) -
3. Name of the respondent
4. Address of the respondent
5. Order appealed against – Number - Date -
6. Complete Designation, along with jurisdiction of the Appellate Authority/Revisional Authority passing the order appealed against –
7. Date of communication of the order appealed against –
8. Details of the case under dispute:
 - a. Brief issue of the case under dispute
 - b. Period of dispute –
 - c. Case Summary (*As per Annexure A*)
 - d. Market value of seized goods, where one of the issues involved is seizure/confiscation of goods
9. About Respondent (*As per Annexure B*)
10. Is place of supply involved in the dispute- Yes/No
11. Statement of facts (*As per Annexure C*)
12. Grounds of appeal –
13. Prayer –
14. Category of case under dispute or Issues involved – (*as per Annexure D*)
15. Details of demand:

[illegible]

[illegible]

I hereby declare that I have been duly authorized/directed by the Commissioner in accordance with sub-section (3) of Section 112 of the Act to file this application before the Appellate Tribunal and a true copy of the said direction/authorization is being uploaded herewith

Place:

<Signature>

Date:

Name of the Officer:

Designation:

Designation:
Jurisdiction:

Annexure A

Case Summary

Case Summary
(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, not exceeding 1000 characters in each cell)

Sl No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/claimed by present Appellant
1	Registration				
2	Revocation of cancellation of registration				
3	Denial/blocking of ITC				
4	Short or non-payment of tax				
4	Erroneous refund				
5	Levy of Penalty				
6	Levy of interest or late fee or fine				
7	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)				
8	Any other				

Annexure B

About Respondent

Constitution of Business	Address	Nature of Business	Any other relevant fact

GSTN/Temp ID	Constitution of Business	Any other constitution business	Address	Nature of business	Any other relevant fact

Annexure C

Statement of Facts (Case History)

Statement of Facts (Case History)
(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, Not exceeding 1000 characters in each cell, Upload documents if necessary)

Reference/ acknowledgment no.	Action By	Date	Brief Narration
-------------------------------	-----------	------	-----------------

Annexure D

(Category of case under dispute or issues involved)

S No	List of •Category of case under dispute	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)
1	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN	
2	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act	Mention notification no. and date	
3	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
4	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
5	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
6	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
7	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo moto registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
8	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order	
9	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
10	Rejection/acceptance of application for amendment to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
11	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
12	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
13	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
14	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
15	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/	

		Revisionary order	
16	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
17	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
18	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee)	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order	
19	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
20	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
21	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
22	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
23	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
24	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
25	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
26	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
27	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
28	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
29	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
30	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
31	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

32	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
33	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
34	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
35	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
36	Anti-profiteering related matter		
37	Others-		
38	Issues related to Place of supply of goods and/or services"		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

क्र. CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) (38)

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) की धारा 70क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम में, अनुसूची-1 में, अनुक्रमांक 47-क के सामने, कॉलम (3) में, अंक तथा प्रतीक "31-03-2025" के स्थान पर, अंक तथा प्रतीक "31-03-2026" स्थापित किए जाएं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. CT-4-0001-2025-Sec-1-पांच (CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-4-0001-2025-Sec-1-पांच (CT) (38), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

No. CT-4-0001-2022-Sec-1-V(CT)(38)

Bhopal, the 22nd September 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Schedule-I of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said Act, in Schedule-I, in column (3), against serial number 47-A, for the figures and symbols "31-03-2025", the figures and symbols "31-03-2026" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (35).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1) और (3), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिपद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिमूचना क्रमांक एफ-ए -3-32/2017/1/V(72) दिनांक 21 जुलाई, 2017, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिमूचना में,-

(1) 22 सितम्बर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

- (A) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (B) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (C) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(A) मद (i) के समक्ष,-

(I) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"वर्शों कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]";

(B) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, "के अंतर्गत मद" के बाद ब्रैकेट और अंक "(i)" जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, -

(A) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
"(iv) भारतीय रेलसे भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	or	
	9	,";

(C) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(D) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के अलावा किसी अन्य परिवहन माध्यम द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, वस्तुओं के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर

		2.5% की दर में प्रदत्त या देय कर में अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। (i) उदाहरण: 'ए' एक बहुसाधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल की आवाजाही के लिए परिवहन के एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (ii) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये। (iii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) माल का परिवहन जहां परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष,-

(A) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(ia) मालवाहक वाहनका किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय की समानराह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्तया देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	-";

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के अलावा	9	-
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	-";

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(A) मद (ia) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(B) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के अलावा अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं";

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएं;	0.75	
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;		
26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ) ०	(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर;	2.5	—;
		(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान;		
		(घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद;		
		वशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ		

अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए फुटकर-कार्य पर लागू नहीं होगी;

(ड) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;

(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से राज्य कर लगता है;

(झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं;

(ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं;

(ट) छाता।

(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ;

(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ।

(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में-

9

9

9

	(क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण;	
	(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है।	
	(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5
	(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

- (A) मद (i) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (B) मद (ia) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

- (A) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (B) मद (iii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";
- (C) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (D) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएं।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है

				[कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा करेगी, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर पर नहीं लगाई जाएगी।	9	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या -----, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(A) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xxxx)'माल परिवहन एजेंसी' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,
- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

(B) खंड (xxxx) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(xxxxi) 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42/2017/1/V(53) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के पैराग्राफ 2 के खंड (य ब) में दिया गया है;

(xxxxii) 'हस्तशिल्प वस्तुओं' का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42/2017/1/V(134) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, जो समय-समय पर यथासंशोधित, में दिया गया है। समय;

(xxiii) 'परिवहन के साधन के प्रकार' से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

II. उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के एक अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में मंशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (35), दिनांक 22 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd September 2025

No. F A 3-32/2017/1/V(35) : In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-sections (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A- 3-32/2017/1/V(41) dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(1) with effect from the 22nd day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]";

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words "covered by items", the brackets and figure "(i)," shall be inserted;

(iii) against serial number 8, in column (3), -

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	“-”;

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods are used by a multimodal transporter, where;		
(a) Transportation of goods by any mode of transport other than air.	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken:

	Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.: Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. Illustration: 'A' engages 'B' (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein 'B' uses more than one mode of transport for the movement of goods. 'B', for supplying the said service hires a GTA i.e., 'C' for Rs 600 who charges state tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges state tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under: (i) Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA;
--	---

		(ii) To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
(b) At least one mode of transport is by air.	9	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.”;

(v) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
		or
	9	“”;

(vi) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) local delivery services (a) Supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017. (b) other than (a) above	9	-
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-";

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below";

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Heading 9988 services on physical inputs (goods) owned	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	0.75	-";
		(ii) Services by way of job work in relation to-	2.5	

by others)	(a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter; (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively; (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract state tax @2.5% or Nil; (g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); (h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract state tax @2.5%; (i) all products, other than diamonds, falling under	
------------	--	--

	Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	
	(j) handicraft goods;	
	(k) umbrella.	
	(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9
	(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9
	(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to-	
	(a) printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals;	2.5
	(b) printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract state tax @2.5% or Nil.	
	(vi) Tailoring services.	2.5
	(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9

(xi) against serial number 32, in column (3),-

(A) against item (i), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

(A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a 'recognised sporting event'.";

(C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry "20" shall be substituted;

(D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry "20" shall be substituted;

(xiii) for serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract state tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-";

(xiv) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. F A 3-33/2017/1/V(33) Dated 19/09/2025."

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted, namely: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided;
- (ii) electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. F A-3-42/2017/1/V(53) dated the 30th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) ‘handicraft goods’ shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. F A-3-42/2017/1/V(134) dated the 13th October, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) ‘mode of transport’ means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) ‘multimodal transporter’ means a person who,-

- (a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
- (b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

(2) with effect from the 1st day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

“*Explanation 1.*- For the purposes of this clause, ‘premises’ means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression ‘a person applying for registration’ shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.